



949

(2)

पुत्र/पत्नी .....X.....निवासी...S.R.A.-A-8...आदर्श कालीनी  
रुद्रपुर तहसील विन्हा जिला उधमसिंहनगर (जिनको यहाँ आगे  
चलकर कर "क्रेता" कहा गया है (द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।)

चूँकि पूर्व में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ओर से प्राधिकृत डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर  
रुद्रपुर टाउन शिप जिला नैनीताल एवं श्री.....X.....  
पुत्र श्री.....X.....निवासी.....X.....  
.....X.....के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख दिनांक  
.....X.....से आगामी .....X.....वर्ष हेतु जो वही संख्या  
.....X.....जिल्द.....X.....पृष्ठ संख्या.....X.....अति  
वही संख्या .....X.....जिल्द.....X.....क्रमोंक.....X.....पृष्ठ.....X.....  
के रूप में सब रजिस्ट्रार हल्द्वानी जिला नैनीताल के कार्यालय में दिनांक.....X.....  
.....X.....को रजिस्टर्ड है, (जिसे आगे "पट्टाविलेख" कहा गया है और  
जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को "पट्टादाता" और श्री.....X.....  
श्री.....X.....श्री.....X.....को  
"पट्टेदार" कहा गया है) के अनुसार क्रेता पट्टाविलेख की अनुसूची में उल्लिखित

यम-सिंह

आदर्श कालीनी  
आधिकारी  
रुद्रपुर तहसील विन्हा जिला  
उधमसिंहनगर

रुद्रपुर जिलाधिकारी (नजूल)  
उधम सिंह नगर

जिलाधिकारी  
उधम सिंह नगर

१५१

(3)

नजूल भूखण्ड जिसे इस विलेख की अनुसूची में भी वर्णित किया गया है, के/की/का/पट्टेदार/पट्टेदार से पट्टागत भूमि की/के/का श्रेणीबद्ध क्रेता/नामित व्यक्ति/अनुबन्ध गृहीता/उत्तराधिकारी है।

और चूँकि क्रेता ने इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड जिस्के/जिसका/जिसकी कि वह पट्टेदार/क्रेता/उत्तराधिकारी/अनुबन्धगृहीता/नामायिक्ती/(नामित व्यक्ति)/अवेध कब्जेदार/स्थानीय निकाय की किरायेदार/रेंट कंट्रोल की किरायेदार है, ने प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निरस्तारण विषयक शासनादेश संख्या 1562/9-आ-4-92-293एन/99 दिनांक 23-05-92 एवं शासनादेश संख्या 3632/9-आ-4-92-293एन/90 दिनांक 02-12-92, शासनादेश संख्या 2093/9-आ-4-94-293एन/90 दिनांक 03-10-94, शासनादेश संख्या 3082/9-आ-4-95-628एन/95 दिनांक 01-01-96, शासनादेश संख्या 82/9-आ-4-96-629एन/95 दिनांक 17-02-96, शासनादेश संख्या 1300/9-आ-4-496-629एन/95 (टी0सी0) दिनांक 28-08-96, शासनादेश संख्या 2029/9-आ-4-97-260एन/97 दिनांक 26-09-97, शासनादेश संख्या 667/9-आ-4-98-691एन/97 टी0सी0 दिनांक 23-04-98, शासनादेश संख्या 2268/9-आ-4-98-704एन/97 दिनांक 01-12-98, शासनादेश संख्या

1 मिन 01/11

अधिसाक्षी अधिकारी  
बखरपालिका परिषद  
बखरपुर

बखर जिलाधिकारी (नजूल)  
कृष्ण सिंह बखर

जिलाधिकारी  
कृष्ण सिंह बखर

953

(4)

1592/9-आ-4-99-691एन/97 टी0सी0 दिनांक 20-05-99, शासनादेश संख्या 1289/न0वि0/अभि0-2001-187-आ0/2001 दिनांक 16-05-2001, शासनादेश संख्या 1286/श0वि0आ0-03-187(आ0) 01 टी0सी0-1 दिनांक 30-04-2003, अधिसूचना संख्या 234 (1) वित्त-5/स्टाम्प/2003 दिनांक 21.05.2003 संख्या-1669/श0वि0आ0-03-187(आ)/01-टी0सी0-1 दिनांक 16.06.2003 एवं संख्या 303(2)/वित्त-5/स्टाम्प व रजि0/2003 दिनांक 22.07.2003 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्रीहोल्ड लेण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना-पत्र दिया है।

और चूंकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निरतारण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार तथा शासनादेश संख्या 2268/9-आ-4-98-704एन/97 दिनांक 01.12.98 के अनुसार स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये 44,280.00 (शब्दों में ~~चालीस हजार दो सौ अठारसी~~) ट्रेजरी चालान संख्या T-1 दिनांक 30-6-99, धनराशि रुपये X (शब्दों में रुपये X) ट्रेजरी चालान संख्या X दिनांक X तथा जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर द्वारा

मनन सिंह

उधम सिंह  
उपनिर्देशाधीन अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
उधम सिंह

उधम सिंह  
उपनिर्देशाधीन अधिकारी (नजूल)  
उधम सिंह नगर

उधम सिंह  
जिलाधिकारी  
उधम सिंह नगर

955

(5)

दिनांक 31-5-2000 को फ्रीहोल्ड हेतु पात्रता पर जारी गांग पत्र, पत्र संख्या 1047 दिनांक 7-6-2000 में फ्रीहोल्ड हेतु अवशेष सम्पूर्ण ऑकलित निर्धारित मूल्य रुपये 3,32,986.00 (शब्दों में रुपये तीन लाख बत्तीस हजार नौ सौ दियासी मात्र) को क्रेता द्वारा एक गुरत जमा करने की सहमति पर देय 20 प्रतिशत की छूट जो कि भूमि के फ्रीहोल्ड मूल्य रुपये X (शब्दों में रुपये X) पर रुपये X (शब्दों में रुपये X) की हुई को समायोजित करते हुए एवं अन्य मदों के अन्तर्गत हस्तान्तरण शुल्क 10 प्रतिशत जो कि भूमि के फ्रीहोल्ड मूल्य रुपये X पर रुपये X (शब्दों में रुपये X) एवं नामांकन शुल्क 5 प्रतिशत जो कि भूमि के फ्रीहोल्ड मूल्य रुपये X पर रुपये X (शब्दों में रुपये X) तथा वर्ष X से वर्ष X तक कुल X वर्ष का X पैसे प्रति वर्ष की दर से वार्षिक लीज किराया रुपये X (शब्दों में रुपये X)

ममन चौधरी

ममन चौधरी  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगरपालिका परिषद  
 खडगपुर

कृष्ण सिंह नपर  
 खडग जिलाधिकारी (नयूम)  
 कृष्ण सिंह नपर

कृष्ण सिंह नपर  
 जिलाधिकारी  
 कृष्ण सिंह नपर

१५१

(6)


रुपये..... X .....) को, इस प्रकार अवशेष कुल आंकलित धनराशि रूपये 3,32,986-00 (शब्दों में रूपये.....


तीन लाख बत्तिस हजार नौ सौ द्वासी मात्र .....)  
ट्रेजरी चालान संख्या 7-1 दिनांक 14-8-3... धनराशि रूपये..... X .....  
(शब्दों में ..... X .....) ट्रेजरी चालान संख्या.....


..... दिनांक ..... X ..... को क्रेता से प्राप्त करके जिलाधिकारी, उमर सिंह नगर आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला (फ्रीहोल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्वारा सहमत हैं।

अतः नवसृजित उत्तरांचल राज्य के गठन के पूर्व उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित गवर्नमेन्ट ग्रांट एक्ट (सन् 1895 ई० का एक्ट संख्या-15) के अधीन निम्नादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड क्रेता के पक्ष में फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को कुल धनराशि रूपये 3,77,266-00 (शब्दों में रूपये तीन लाख सत्तर हजार नौ सौ द्वासी मात्र)

14-8-31

  
बिधशाखा अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
बनारस

  
नगर जिलाधिकारी (नजूल)  
कृष्ण सिंह नगर

  
जिलाधिकारी  
कृष्ण सिंह नगर

९५९


(7)


जनपद उधम सिंह नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक रूपपुर में उपर्युक्त ट्रेजरी वालानों द्वारा किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्वारा स्वीकार करता है), के प्रतिफल स्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका क्रेता पालन करेगा/करेगी/करेंगे को ध्यान में रख कर विक्रेता एतद्वारा वह सब भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख में संलग्न मानचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है, को महायोजना में विनिर्दिष्ट आवासीय/अनावासीय X भू-उपयोग के निमित्त फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेता उसके दाय्याधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।


इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में देय करों और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा/करेगी/करेंगे।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, गतगोद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा

समय बाधे

  
जिलाधिकारी,  
जनपदपालिका परिषद  
रूपपुर

  
जनपद जिलाधिकारी (नज़ूल)  
कृष्ण सिंह नगर

  
जिलाधिकारी  
उधम सिंह नगर

961

(8)


हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।


इस विलेख के निष्पादन एवं गंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेता वहन करेगा/करेंगी/करेंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "विक्रेता" और "क्रेता" के सम्बन्ध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, "विक्रेता" में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशिनी तथा "क्रेता" में उसके दाय्याधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव है।

प्रदेश में नजूल भूमि के प्रवच एवं निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या 1562/9-आ-4-92-293एन/90 दिनांक 23.05.92 एवं तत्पश्चात समय-समय पर जारी किये गये अन्य सभी सुसंगत शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार क्रेता द्वारा फ्रीहोल्ड घोषित करने का प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके सम्बन्ध में की जा रही यह फ्रीहोल्ड कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा दायर विशेष अनुज्ञा

मन रल्लेय

  
अधिसापी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
बदपर

  
धपर जिलाधिकारी (नजूल)  
कृष्ण सिद्ध नगर

  
जिलाधिकारी  
कृष्ण सिद्ध नगर



१६३

(9)

याचिका संख्या 1557-1559/98 राज्य सरकार बनाम सत्यनारायण कपूर तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में ही दायर एक अन्य विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 6860/99 राज्य सरकार बनाम फूलचन्द्र गुप्ता में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन होगी।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेता ने और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

नगरीय क्षेत्र रुद्रपुर में राजस्व ग्राम.....रम्पुरा.....के खसरा संख्या.....130.....के मध्य क्षेत्र मौहल्ला S.R.A आदवा कालीनी रुद्रपुर तहसील किच्छा जिला उधम सिंह नगर 48+41X39.6+45 में स्थित नजूल भूखण्ड संख्या S.R.A-A-8/पेमाइशी.....फिट अर्थात् 1752 वर्गमीटर

मम साक्ष

ॐ  
बधिसानी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
रुद्रपुर

ॐ  
धनर जिलाधिकारी (नजूल)  
उधम सिंह नगर

ॐ  
बिलाधि तारी  
उधम सिंह नगर

965

(10)  
के मध्य पैमाइशी  $(48+41) \times 39.6 + 45$  फिट अर्थात् 174 - 66 वर्गमीटर जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :-

- पूरब - पहागत नचूल भूखण्ड सं० - SRA-A-8
- पश्चिम - पम्की लडक
- उत्तर - पहागत नचूल भूखण्ड सं० - SRA-A-51
- दक्षिण - ग्रानि वैल्य बाढ़ काशीपुर नाइपोस रोड

फ्रीहोल्ड के लिये क्रेता ने स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये 44280-00  
 (शब्दों में रुपये नवालासि हजार दो सौ अस्सी मात्र), ट्रेजरी चालान संख्या T-1 दिनांक 30-6-99 धनराशि रुपये X  
 (शब्दों में रुपये X), ट्रेजरी चालान संख्या X दिनांक X तथा मांग पत्र में आंकलित धनराशि रुपये 3,32,986-00 (शब्दों में रुपये तीन लाख बत्तिस हजार नौ सौ अठ्ठासी), ट्रेजरी चालान संख्या T-1 दिनांक 14-8-2003 धनराशि रुपये

14-1-2018

आदेशाधी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
काशीपुर

अवर जिल्हाधिकारी (नचूल)  
कृषम सिद्ध नगर

जिल्हाधिकारी  
कृषम सिद्ध नगर

१६

(11)

(शब्दों में रुपये ..... X ..... मात्र) ट्रेजरी चालान  
सं० ..... X ..... दिनांक ..... X ..... द्वारा, इस प्रकार कुल धनराशि  
रुपये 3,77,266-00 (शब्दों में रुपये तीन लाख सात हजार  
दो सौ दियासठ मात्र.....) को जमा कर दिया है।

यमन शांति

क्रेता के हस्ताक्षर

नाम- चमनलाल  
पुत्र श्री जगन्नाथ  
SRA-A-8

पता- आदमी कालीनी रूद्रपुर  
तहसील किन्हा (उपमहसिंहगर)

साक्षी- जगदीश प्रसाद

1. जगदीश प्रसाद 510 पमनलाल  
आदमी कालीनी, रूद्रपुर  
रूद्रपुर

2. जगदीश प्रसाद 510 पमनलाल  
5-10 C/A मेंन बाजार  
रूद्रपुर

राज्यपाल की ओर से तथा उनके

द्वारा प्राधिकृत जिलाधिकारी  
जयम विह नगर

साक्षी-

जयम विह नगर  
जयम सिद्ध नगर

जयम विह नगर  
व्यवसायी अधिकारी  
परम्पराविका परिवार  
रूद्रपुर

xx  
 xx स्वाम्य रस 1 दि० 16-08-03 रू 15000/- श्री चमन लाल गुंठी  
 जगन्नाथ निवासी आदमी कालोती शंकरपुर S.P. कल्याण सीक (एंडर कोडा)  
 कोजा गार कल्याण सिदंगर (कोडा) रु गाय मंडल स्वाम्य रस 2 दि० 16/8/03  
 रू 15000/- रसलग्न स्वाम्य रस 1 को एंडर कोजा गार कल्याण सिदंगर  
 (कोडा) स्वाम्य रस 3 दि० 16-08-03 रू 1000/- रसलग्न स्वाम्य रस 2 को  
 एंडर कोजा गार कल्याण सिदंगर (कोडा) स्वाम्य रस 4 दि० 16-08-03  
 रू 1000/- रसलग्न स्वाम्य रस 3 को एंडर कोजा गार कल्याण सिदंगर  
 (कोडा) स्वाम्य रस 5 दि० 16/8/03 रू 1000/- रसलग्न स्वाम्य रस 4 को एंडर  
 कोजा गार कल्याण सिदंगर, स्वाम्य रस 6 दि० 16-08-03 रू 1000/-  
 रसलग्न स्वाम्य रस 5 को एंडर कोजा गार कल्याण सिदंगर (कोडा)  
 स्वाम्य रस 7 दि० 16-08-03 रू 1000/- रसलग्न स्वाम्य रस 6 को एंडर  
 कोजा गार कल्याण सिदंगर (कोडा) स्वाम्य रस 8 दि० 16-08-03 रू 1000/-  
 रसलग्न स्वाम्य रस 7 को एंडर कोजा गार कल्याण सिदंगर (कोडा)  
 स्वाम्य रस 9 दि० 16-08-03 रू 1000/- रसलग्न स्वाम्य रस 8 को एंडर  
 कोजा गार कल्याण सिदंगर स्वाम्य रस 10 दि० 16-08-03 रू 750/- रसलग्न  
 स्वाम्य रस 9 को एंडर कोजा गार कल्याण सिदंगर (कोडा) स्वाम्य  
 रस 11 दि० 16-08-03 रू 500/- रसलग्न स्वाम्य रस 10 को एंडर कोजा गार  
 (कल्याण सिदंगर) कुल स्वाम्य 37800/- कंप पदा गण्डारा परीसकडारा  
 इ प्रेम कुमार S.v. M.R. Joshi उपनि वन्यक मिच्छा सी ई एड 378000/-  
 200 नि 5000/- 200 प्रोती पीपि 20/- 200 ड लोकरा 1600 पाग 5020/- श्री  
 चमन लाल गुंठी जगन्नाथ पिशा व्यापार निवासी S.R.A-A-8 आदमी  
 कालोती शंकरपुर तहसील मिच्छा नई लखनपुर कोपील प्रदुप नि वन्यक  
 मिच्छा जिला कल्याण सिदंगर मंडल कोडा कोडा 9-9-03 उपनि वन्यक  
 1 व 2 व कोडा के प्रसन्न कोजा S.v. M.R. Joshi 9-9-03 उपनि वन्यक  
 मिच्छा (कल्याण सिदंगर) चमन लाल तहसील कोलापील तहसील  
 नि 2000 श्री चमन लाल कुंठी नि 2000 नि 2000 नि 2000 नि 2000  
 को निष्पादन रसी वार सिपा जिनकी पहचान श्री जगदीश कुमार गुंठी  
 चमन लाल पिशा व्यापार नि S.R.A-A-8 आदमी कालोती शंकरपुर तहसील  
 को श्री कुंठी वरुण गुंठी वरुण विला मली पिशा व्यापार नि आदमी  
 कालोती शंकरपुर को श्री S.v. M.R. Joshi 9-9-03 उपनि वन्यक मिच्छा  
 (कल्याण सिदंगर) इस बात का ध्यान हो जाते पर कि इस लिखत  
 का सम्पादन श्री शंकर लाल गुंठी जिला सिपा कल्याण सिदंगर  
 के कोष पदके अधिकारी साक्षी करता है। यह लिखत कोडा कोडा  
 व संवत् 2003 को दिनांकी 20/8/03 को स्वीकार किया S.v. M.R. Joshi  
 9-9-03 उपनि वन्यक मिच्छा (कल्याण सिदंगर) चमन लाल (कोडा)  
 S.v. Jugalish Kumar (कोडा) व कुंठी वरुण कुंठी (कोडा) सिपा  
 साक्षी व नदी साक्षी नि 2 का नि 2000 नि 2000 नि 2000 नि 2000







975

SITE PLAN SHOWING PLOT NO. A-811 - KHASRA NO 128m  
REV. VILLAGE - RAM PURA. FOR RESIDENTIAL PURPOSE  
OF SRI-CHAMAN LAL S/O SRI JAGANNATH AT BIDARSH COLONY  
SR. A. WARD NO 14 RUDRAPUR IDISSY. U.S. NAGAR

SCALE 1"=20'



150' WID BYE PASS ROAD  
KASHI-PUR. ROAD.

सिद्धि माल

आपशावा अधिकारी  
नगरपालिका कार्यालय  
काठमाडौं

नगर विभागीय अधिकारी  
कृष्ण सिंह बस्नेत

जिलाधिकारी  
कृष्ण सिंह बस्नेत

सिद्धि माल  
27/11/20

जे  
॥

जे  
॥

ADMN.  
U.S.N.

D.M.  
U.S.N.